

कार्यालय अधीक्षक सब जेल ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक 546

/निर्वाह/2026

ब्यौहारी दिनांक 29.03.2026

प्रति,

संचालक

सूचना एवं प्रकाशन विभाग

बाणगंगा मध्यप्रदेश भोपाल

विषय-सब जेल ब्यौहारी में परिरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु दवाईयों के कय हेतु वार्षिक चतुर्थ ई-निविदा विज्ञप्ति वर्ष 2026-27 के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने बावत्।

संदर्भ-जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 27959/निर्वाह शाखा/2025 भोपाल दिनांक 22.12.2025

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि सब जेल ब्यौहारी में परिरुद्ध बंदियों के उपचार हेतु दवाईयों के कय हेतु चतुर्थ वार्षिक ई-निविदा विज्ञप्ति वर्ष 2026-27 समाचार पत्रों में प्रकाशन के ऑनलाइन प्रेषित की जा रही है। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाश 01 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं 02 स्थानीय पत्रों में दिनांक 08.04.2026 के पूर्व आवश्यक रूप से प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जेल अधीक्षक

सब जेल ब्यौहारी

546-546


प.क्रमांक- /निर्वाह/2026/ ब्यौहारी,

दिनांक- 29 /03/2026

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर निविदा विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा का प्रकाशन राजपत्र में करवाने का कष्ट करें।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पदैन जेल अधीक्षक सब जेल ब्यौहारी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर ई-निविदा विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति की 01 प्रति जनसाधारण के व्यापक प्रचार- प्रसार हेतु अपने सूचनापटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें एवं सूची में उल्लेखित सामग्रियों के स्थानीय प्रचलित थोक बाजार दर दिनांक-28/04/2026 को प्रातः 11:00 बजे के पूर्व शीलबंद लिफाफे में आवश्यक रूप से प्रदाय करने का कष्ट करें
4. लोक निर्माण विभाग ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची भवन निर्माण सामग्री के थोक बाजार दर, दिनांक-28/04/2026 को प्रातः 11:00 बजे के पूर्व शीलबंद लिफाफे में आवश्यक रूप से भेजने का कष्ट करें।
5. पंजीयक सहकारी समिति ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक, लघु उद्योग निगम मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जवलपुर/भोपाल/इंदौर/सतना/ग्वालियर/उज्जैन/सागर/होशंगाबाद/नरसिंहपुर एवं वड़वानी अधीक्षक, जिला जेल सीधी/शहडोल/उमरिया/सिंगरौली/अनूपपुर/सब जेल बुंदार/मऊ/गज की ओर निविदा सूचना की एक-एक प्रति निविदा प्रसारण व्यापारियों से कराकर वापिस करने हेतु प्रेषित।
8. टेक्नीकल डायरेक्टर एण्ड हेड आई.डी.सी. एण्ड वेब डिविजन, एन.आई.सी.सी. -विग वेसमेट, विध्यावल भवन भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि जेल की निविदा सूचना जेल की वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. प्रबंधक सहकारी उपभोक्ता भण्डार ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10. सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
11. खाद्य नियंत्रण ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
12. जेल अधीक्षक सब जेल ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्थानीय व्यापारीगण ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
14. प्रमुख मुख्य पहरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि निविदा विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सब जेल ब्यौहारी के सूचना पटल पर चरपा कराना सुनिश्चित करें ।


सेवा में प्रेषित
जिला अधिकारी (म०२०)

कार्यालय अधीक्षक सब जेल ब्यौहारी जिला शहडोल म.प. चतुर्थ वार्षिक ई निविदा आमत्रण वर्ष 2026-2027

कार्यालय अधीक्षक सब जेल ब्यौहारी में परिरुद्ध वदियों के स्वारथ्य एवं उपचार व्यवस्था हेतु दवाईयों के कय किए जाने के लिए वर्ष 2026-2027 हेतु वार्षिक ई-निविदा

www.mptenders.gov.in पर दिनांक 28/04/2026 को सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इसलुक व्यापारीगण ई-निविदा फार्म एवं ई-निविदा से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी www.mptenders.gov.in वेबसाइट से प्राप्त करें। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	दिनांक/ समय	स्थान
1.	पी बिड मीटिंग	10/04/2026 प्रातः 11:00 बजे	सब जेल ब्यौहारी
2.	ई-निविदा फार्म कय करने की अंतिम तिथि (निविदा फार्म का मूल्य रुपये 05.00 लाख तक रुपये 500.00 एवं रुपये 05.00 लाख से अधिक रुपये 1000.00 लेखा शीष 0056 जेलों 800 अन्य प्राप्तियों में जमा की जावेगी।)	27/04/2026 सायं 05:00 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
3.	ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28/04/2026 सायं 05:00 बजे तक	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
4.	संग्रह जमा करने की अंतिम तिथि	28/04/2026 सायं 05:00 बजे तक	सब जेल ब्यौहारी
5.	तकनीकी निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज खोलने की अंतिम तिथि	29/04/2026 प्रातः 11:00 बजे	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
6.	वित्तीय ई-निविदा खोलने की तिथि	29/04/2026 प्रातः 11:00 बजे	www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

नोट:-

- व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि ई-निविदा के नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य है तथा निविदा की सम्पूर्ण जानकारी www.mptenders.gov.in की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।


जेल अधीक्षक
सब जेल ब्यौहारी

खण्ड-"स"

(दवाईयां, चिकित्सा उपकरण, लैब सामग्री एवं चिकित्सीय जाँच)

अनुमानित कीमत राशि रुपये- 1,00,000.00 प्रतिभूति राशि 03% रुपये- 3,000.00

क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	किस्म	रिमार्क
01	02	03	04	05
1.	थोक दवाईयों सभी प्रकार के (जैनरिक/ब्राण्डेड) चिकित्सक के परामर्शानुसार क्रय की जावेगी।	आवश्यकतानुसार लगभग (01 लाख तक की)	(जैनरिक/ब्राण्डेड)	


जेल अधीक्षक

सब जेल ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र.

“निविदा की शर्तें”

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये खाद्यान्न, सब्जी/फल, दवाईयां क्रय की कार्यवाही म.प्र. जेल पूर्ति नियम, 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से अर्थात् ऑनलाइन की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रुपये 500.00 एवं 5 लाख से अधिक रुपये 1000.00 प्रति निविदा फार्म ऑनलाइन लेखा शीर्ष 0056-जेलें- 800 अन्य प्राप्तियां में करना होगा।
3. निविदाएं खण्डवार पृथक-पृथक ऑनलाइन जमा की जाएंगी। निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	खण्ड का नाम	कुल लागत	3% प्रतिभूति की राशि
सब जेल ब्यौहारी			
1. ✗	खाद्यान्न खण्ड- "अ"	16,00,000.00	48,000.00
2. ✗	सब्जियां/फल खण्ड-"ब"	5,00,000.00	15,000.00
3. ✓	दवाईयां खण्ड-"स"	1,00,000.00	3,000.00
4. ✗	स्वच्छता,विद्युत एवं अन्य विविध सामग्री खण्ड-"द"	5,00,000.00	15,000.00

4. वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक- 30/06/2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैद्य रहेंगे।
5. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिये। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करें सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा -10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के पारिपत्र क्रमांक-05/वारंट-3/भोपाल, दिनांक-28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में पृथक-पृथक 50-50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से बनाए व इसको ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ-पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक-पृथक शपथ पत्र बनाया जाए। जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 27959/निर्वाह शाखा/2025/भोपाल दिनांक 22/12/2025 के अनुसार- शपथ पत्र 'अ' एवं 'ब' निविदा प्रकाशन तिथि के पश्चात का मान्य होंगे। शपथ-पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :-

शपथ पत्र-अ

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल..... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..... के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र-ब

(जेल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक-05/वारंट-03 बंदी मृत्यु/2015 भोपाल, दिनांक 28.01.2015)

मैं..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल..... के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..... के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता


9. तहसील या मंडी या खाद्यान क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।
10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराए जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किये जावेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली गई जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे:-
 - i. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।
 - ii. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र।
 - iii. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी रिटर्न।
 - iv. विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
 - v. शपथ-पत्र "अ" एवं "ब"।
 - vi. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।
 - vii. खाद्य वस्तुओं/ दवाईयों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।
 - viii. वस्तुओं के व्यापार सम्बंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।
 - ix. दवाईयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लायसेंस।
 - x. निविदा में उल्लेखित सामग्री के अपेक्षित नमूने संबंधित-पत्र।
 - xi. वस्तुओं के उल्लेखित ब्रांड से संबंधित-पत्र।

xii. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (black list) में नहीं होने का घोषणा पत्र ।

11. निविदा के साथ संलान किये गये दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सामग्रियों के ब्रांड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रांड नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डिब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जाएंगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ- सुथरी होंगी और नमूनों से मिलायी जाएगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबित होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।
14. निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।
15. सब्जियां साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचानी होंगी। निर्धारित समय तक सब्जियां प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन-व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से क्रय की जाएगी, जिस पर शासन को हुये अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलम्ब से भेजी गई सब्जियां वापस कर दी जाएंगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। जेल बगीचे से सब्जियां उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएगी।
16. दवाईयां एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैद्य ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयां एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर. पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।
17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय /अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगी।
18. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टॉप (वाणिज्यिक कर) विभाग म.प्र. के निर्धारित स्टाम्प शुल्क अनुसार नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Guarantee) डिमाण्ड ड्राफ्ट/मियादी जमा रशीद/बैंकर्स चेक/ बैंक गारंटी/ Irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से

कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L₁) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड /सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।
21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियां समझौते के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक /पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटर पैड पर मोबाइल नम्बर /Whatsapp Number/Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिये मान्य होगी।
23. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलम्ब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
24. महानिदेशक जेल सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।
25. निविदा तथा करारनामों के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।


जेल अधीक्षक
सब जेल ब्योहारी जिला शहडोल म.प्र.